न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 06/21 जी.सी.एम.एस. 2021/42

कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नी बृहमोहन उम्र 51 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लोढाहेडा, तहसील कनवास हाल निवासी शिवाजी कॉलोनी लालबाई चोक बारां, राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक– 09.02.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कराने बाबत वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नई 153 के खसरा नबंर 124 की रकबा 1.93 है0, खसरा नबंर 125 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 131 की रकबा 0.10 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 3.97 है0, आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा निहित है।

यह कि उक्त आराजी वादी के पिता बजरंगलाल की मृत्यु के पश्चात् खुले फोती इंतकाल में वाद पत्र के पेरा नबंर 01 में वर्णित आराजी में वादी का घर का बोलता नाम रोशन बाई लिखवा दिया जबकि वादी के बाद में बने सभी दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता इत्यादि में वादी का नाम कृष्णा कुमारी पत्नी बृजमोहन निवासी शिवाजी कॉलोनी लालबाई का चोक बारां दर्ज है।

यह कि वादी के राजस्व रिकार्ड एवं पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता आ जाने से वादी को कृषि ऋृण लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, सरकारी कांटे पर फसल बेचेन, बिजनी कनेक्शन लेने, इत्यादि में भारी परेशानी आ रही हैं इसलिये वादी वाद पत्र के पैरा नबंर 01 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपना नाम दुरूस्त करवाकर वादी का नाम रोशन बाई के स्थान पर कृष्णा कुमारी पुत्री बजरंगलाल पत्नी बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लोढाहेडा तहसील कनवास हाल निवासी शिवाजी कॉलोनी, लाल बाई का चोक बांरा राजस्थान दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:46 IST
Reason: SelfAttested

मीजान

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादी जारी की गई, प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 09.09.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा की आराजी खसरा नबंर 124 रकबा 1.93 है0, खसरा नबंर 125 रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 131 रकबा 0.10 है0, खसरा किता 03 की रकबा 3.97 है0, भूमि रोशनबाई पुत्री बजरंगलाल जाति ब्राह्मण सा0 लोढाहेडा के संयुक्त खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड में वादी का नाम रोशनबाई के स्थान पर कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र, प्रेमनारायण पुत्र शिवकरण उम्र 52 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी लोढाहेडा का शपथ–पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान –पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पास बुक की प्रति, ग्राम पंचायत लोढाहेडा द्वारा दिनांक 13.01.2021 को जारी प्रमाण–पत्र पेश किये गये।वादी के पहचान –पत्र, आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पास बुक की प्रतियों में वादी का कृष्णा कुमारी पुत्री बजरंगलाल पत्नी बृजमोहन अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रमाण–पत्र में रोशनबाई व कृष्णा कुमारी दोनो नाम एक ही व्यक्ति के बताये गये हैं।

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, जवाब सरकार, पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नई 153 के खसरा नबंर 124 की रकबा 1.93 है0, खसरा नबंर 125 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 131 की रकबा 0.10 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 3.97 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर रोशनबाई के स्थान पर कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नई 153 के खसरा नबंर 124 की रकबा 1.93 है0, खसरा नबंर 125 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 131 की रकबा 0.10 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 3.97 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर रोशनबाई के स्थान पर कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि बृहमोहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 0902.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:46 IST
Reason: SelfAttested

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

दावा मु.नं. 06/21 जी.सी.एम.एस. 2021/42

कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नी बृहमोहन उम्र 51 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लोढाहेडा, तहसील कनवास हाल निवासी शिवाजी कॉलोनी लालबाई चोक बारां, राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

निर्णय

मुकदमा नं. 06/2021 तारीख फैसला 09.02.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या नई 153 के खसरा नबंर 124 की रकबा 1.93 है0, खसरा नबंर 125 की रकबा 1.94 है0, खसरा नबंर 131 की रकबा 0.10 है0, कुल खसरा किता 03 की रकबा 3.97 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर रोशनबाई के स्थान पर कृष्णा कुमारी उर्फ रोशनबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि बृहमोहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग ... . X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **09.02.2021** माह **फरवरी 2021** को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ...	---NIL---		स्टाम्प [illegible] ...	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प [illegible] ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...			[illegible]		
महनताना वकील ...			[illegible]		
खर्चा गवाहान ...			फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...			बाबत इजराय हुकमनामा ...		
बाबत इजराय हुकमनामा ...			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक ...			मीजान ...		
मीजान ...					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.04.01 15:51:46 IST
Reason: SelfAttested

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा